(1)

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

झारखंड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004

अधिसूचना

राँची,दिनांक–21.06.2004

संख्या–रा0व्या–11/2000–2402 व0प0. भारतीय वन अधिनियम,1927 (16, 1927) की धारा 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर सभी पिछले नियमों को अवक्रमित करते हुए झारखण्ड राज्यपाल राज्य के भीतर काष्ट (टिम्बर) वीनीयर, प्लाईवुड, जलावन की लकड़ी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोंद और राल (रेसीन) फल, बीज और फल, जड़, छाल एवं अन्य वन उत्पाद जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें, के सड़क, रेल और वायु मार्गों से अभिवहन तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों का विनियमन करने के लिए निम्न नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम यह नियमावली "झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन), नियमावली, 2004" कही जा सकेगी।

2. यह नियमावली सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएँ : इस नियमावली में –

(क) **'काष्ठ'** से अभिप्रेत है लकड़ी का कोई टुकड़ा, जो ईंधन के रूप में भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यवहृत किए जाने के लिए अभिप्रेत हो या जो सामान्यतः व्यवहृत होता हो, खासकर सभी चीरी गयी लकड़ियाँ, चाहे वे किसी भी जाति के वृक्ष या किसी भी आकार की हो अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए कुल्हाड़ी या किसी अन्य औजार से काट या छीलकर तैयार की गई हो, या मोटे छोर पर छाल छोड़कर नापने से जिसका व्यास 7 सेन्टीमीटर से अधिक हो। काष्ठ के अन्तर्गत बाँस एवं केन भी है।

(ख) **'जलावन'** की लकड़ी से अभिप्रेत है काष्ठ से भिन्न लकडी के ऐसे टुकड़े, जो जलाने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो।

(ग) **'सवई घास'** के अन्तर्गत सवई घास से बनी डोरियाँ या रस्सियाँ भी हैं।

(घ) **'कत्था'** से अभिप्रेत है कत्था और खैर के पेड़ों के अन्तः काष्ठ (सारिल) से निकाले गए सभी प्रकार के पदार्थ।

(ङ) **'गोद और राल'** से अभिप्रेत है सलई, पियार, केंवझी, बीजा, बबूल, खैर, साल, धवठा और ऐसे अन्य जाति के पेड़ का प्राकृतिक निश्राव जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें।

(च) **'बीज और फल'** से अभिप्रेत है साल के बीज, चाहे वे पांख (वींग) सहित हों या रहित अथवा उसका छिलका उतारी हुई, गिरी तथा आंवला, हर्रे, बहेरा, कुसुम, पियार के बीज की गिरी महुआ बीज, आकाशझोनी, (अकेशिया और कुलीफोमिस) और ऐसे अन्य फल और जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें।

(छ) 'जड़' से अभिप्रेत है **सर्पगंधा, अनंतमूल, खैर** एवं ऐसे अन्य पादपों की जड़ जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें।

(ज) 'छाल' से अभिप्रेत है सोनारी की छाल (कैसिया फिसचुला की छाल), अर्जुन और महुलान (बोहिनियॉ जाति) की छाल एवं इसके छाल से बनी रस्सियाँ तथा ऐसी अन्य प्रजातियों की छाल जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करें।

(झ) **'वाहन'** के अन्तर्गत है, वे सभी मोटरचालित या अन्य प्रकार से चालित प्रणालियाँ, जो काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन को सड़क, रेल, जल या वायु मार्ग से लाने ले जाने के लिए व्यवहार में लायी जाती है।

(ट) **'विनियर'** का अर्थ है लकड़ी की ऐसी छिली पट्टी जिसकी मोटाई 10 मि0मी0 से अधिक हो।

(ठ) **'प्लाईवुड'** का अर्थ है लकड़ी की ऐसी छिली हुई पट्टी जिसकी मोटाई 10 मि0मी0 से अधिक हो अथवा लकड़ी की परतों या विनियर एवं अन्य पादन सामग्री को चिपकाकर या बनायी गयी समतल पट्टी।

(ड) **'वन चेक पोस्ट'** का अर्थ है नियम के तहत काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद की जाँच के लिए स्थापित चेक पोस्ट।

(ढ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1989 में अंकित अन्य भी परिभाषाएँ इस नियमावली के लिए लागू समझी जायेंगी।

4. वन उत्पादन का आयात, निर्यात या हटाया जाना :– कोई भी काष्ठ, विनियर,

प्लाईवुड, जलावन की लकडी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोन्द और राल, बीज और फल, जड़ और छाल किसी स्थान पर तब तक न आयात हो सकेगा और वहाँ से निर्यात किया या हटाया जा सकेगा, जबतक कि इस निमित्त एक लिखित परिवहन अनुज्ञा–पत्र (ट्रांजिट परमिट) **नियम–'5'** के अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से पहले से प्राप्त नहीं किया गया हो।

5. अनुज्ञा–पत्र का निर्गत किया जाना :–

1. राज्य की सीमा के भीतर काष्ठ या अन्य वन उत्पादन के परिवहन हेतु विहित शुल्क लेकर परिवहन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली की **अनुसूची–'क'** के **प्रपत्र–'1'** में जारी किया जा सकेगा।

2. राज्य की सीमा से बाहर काष्ठ या अन्य वन उत्पाद के परिवहन हेतु विहित शुल्क लेकर परिवहन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली की **अनुसूची–'क'** के **प्रपत्र– '2'** में जारी किया जा सकेगा, परन्तु इस निमित्त परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के निम्न स्तर के पदाधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया जा सकेगा।

3. यदि अन्य राज्य से काष्ठ या अन्य वन उत्पाद झारखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तो अन्य राज्य के द्वारा निर्गत परिवहन अनुज्ञा–पत्र झारखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित वन चेक पोस्ट पर जमा कर देना होगा। उसके बदले में इस वन चेक पोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विहित शुल्क लेकर इस नियमावली की **अनुसूची 'क'** के **प्रपत्र– '3'** में नया परिवहन अनुज्ञा–पत्र जारी किया जा सकेगा। इस निमित्त परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी वन चेक–पोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगें।

4. इस नियमावली के अधीन निर्गत किये जा सकने वाले सभी परिवहन अनुज्ञा–पत्र मात्र एक प्रति में निर्गत पदाधिकारी के हस्ताक्षर तथा तिथि के साथ निर्गत किये जा सकगें। दूसरी प्रति कार्यालय प्रति हो सकेगी। परिवहन अनुज्ञा–पत्र के उपयोगकर्त्ता द्वारा मूल प्रति उपयोग के कम से कम छः माह तक सुरक्षित रखना होगा और इस अवधि में वनपाल (फोरेस्टर) एवं उनसे वरीय पदाधिकारी द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

5. काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद ढ़ोनेवाली प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत हो सकेगा।

6. काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद मोटर चालित वाहन से होने की दशा में प्रत्येक परिवहन अनुज्ञा पत्र की पीठ पर निर्गत पदाधिकारी से भिन्न किसी वन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर

तिथि एवं सयम अंकित करते हुए यह प्रमाण–पत्र अंकित करना होगा कि काष्ठ का लादान उनके समक्ष किया गया है। परन्तु यह उपबंध **नियम– '5'** के उप नियम (3) के अधीन निर्गत परिवहन अनुज्ञा–पत्र के लिए लागू नहीं होगा।

6. अनुज्ञा–पत्र की जाँच

1. एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच पारगमन के क्रम में काष्ठ या अन्य वन उत्पादन किसी भी स्थान पर किसी वन पदाधिकारी या आरक्षी विभाग के अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पदाधिकारी के द्वारा जाँचा जा सकेगा और **नियम– '4'** में विनिर्दिष्ट परिवहन अनुज्ञा–पत्र इस पदाधिकारी द्वारा माँगे जाने पर दिखाया जायेगा।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड बजट में अधिसूचना द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में वन चेक पोस्ट (जाँच नाका) की स्थापना करा सकेगा, तथा इन मार्ग/मार्गों की भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनसे होकर इस नियमावली के काष्ठ या अन्य वनोपज एक स्थान से दुसरे स्थान तक हटाया जा सकेगा। इस प्रकार स्थापित चेक पोस्ट पर काष्ठ या अन्य वनोपज ढ़ो रहे वाहन की वन चेक पोस्ट पर पेशी उपबंधित करने के आशय से इस मार्ग, जिस पर वन चेक पोस्ट स्थापित है, को छोड़कर, या इससे बच निकलकर इसे ले जाना विधिपूर्ण नहीं होगा।

3. वन पथों पर अवस्थित वन चेक पोस्ट साधारणतः सूर्यास्त के एक घण्टा पश्चात से लेकर सूर्योदय तक बन्द किये जा सकेगें और बन्द रहने की दशा में वन चेक पोस्ट पार करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

4. (क) पारगमन होते काष्ठ या अन्य वन उत्पाद की जाँच होने के पश्चात् जाँच करने वाले पदाधिकारी अथवा वन चेक पोस्ट के प्रभारी पदाधिकारी ऐसा उत्पादन ठीक पाये जाने की दशा में परिवहन अनुज्ञा–पत्र की पीठ पर समय एवं तिथि सहित अपना पूरा नाम हस्ताक्षर एवं पदनाम पृष्ठांकित कर देगा और पारगमन जारी रखने की अनुमति दे सकेगा। वन चेक पोस्ट पर की गयी जाँच के बाद पारगमन जारी रखने की अनुमति की दशा में वन चेक पोस्ट के प्रभारी द्वारा संधारित पंजी में परिवहन अनुज्ञा–पत्र के विवरण की प्रविष्टि पारगमन के समय एवं तिथि के साथ कर दी जायेगी।

(ख) उपर्युक्त प्रकार से जाँच के दौरान उत्पादन परिवहन अनुज्ञा–पत्र में लिखे परिमाप से बढ़ जाय या वर्णन से भिन्न हो जाय, तथा काष्ठ की दशा में सम्पत्ति चिन्ह भिन्न हो जाँच पदाधिकारी वाहन सहित उत्पादन परिवहन अनुज्ञा–पत्र तथा पारगमन से संबंधित व्यक्तियों को रोककर भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकेगा।

7. **सम्पत्ति चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण :–**

1. काष्ठ की दशा में किसी स्थान से इसका निर्यात या हटाये जाने के दौरान इसका स्वामित्व सम्पत्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जायेगा, परन्तु काष्ठ से भिन्न, वन उत्पाद पर कोई सम्पत्ति चिन्ह अपेक्षित नहीं होगा। बाँस और केन (बेंत) पर भी सम्पत्ति चिन्ह अपेक्षित नहीं होगा।

2. सभी सम्पत्ति चिन्ह वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय निबंधित होगें।

3. सम्पत्ति चिन्ह के निबंध के लिए विहित शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क सरकारी कोषागार में उचित शीर्ष के अधीन जमा किया जायेगा।

4. सम्पत्ति चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण शुल्क सम्पत्ति चिन्ह की पाँच प्रतिकृतियाँ (फैसिमाईल) दी जायेगी। इसमें काष्ठ के उद्‌गम की विशिष्टियाँ, लगभग परिमाण गतव्य स्थान और ले जाये जाने का मार्ग बताये रहेगें।

5. यदि वन प्रमंडल पदाधिकारी समझें कि ऐसे सम्पत्ति चिन्ह और सरकारी या अन्य सम्पत्ति चिन्ह के बीच भेद नहीं किया जा सकता अथवा किसी अन्य कारण से जो अभिलिखित कर दिए जायेगें, वह रजिस्ट्रीकरण से इन्कार या इसे रद्द कर सकता है।

8. **रैयती भूमि पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्रक्रिया** :– अपनी रैयती भूमि पर उगे वृक्षों के काष्ठ परिवहन के लिए किसी रैयत को नियम– 5 के अधीन परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नवत् प्रक्रिया होगी। इस गजट की अधिसूचना की तिथि के पश्चात् रैयती भूमि पर उगे वृक्ष के पातन के पूर्व काष्ठ के परिवहन के लिए रैयत द्वारा इस प्रक्रिया के उल्लंघन में ऐसे काष्ठ का परिवहन विधि मान्य नहीं होगा।

1. ऐसी भूमि के रैयत जिनका नाम राजस्व पंजी में दर्ज है, एवं अपनी रैयती भूमि पर खड़े वृक्षों पर पातन एवं निष्कासन हेतु इच्छुक हो, इस नियमावली की **अनुसूची– 'ग' में अंकित प्रपत्र– '1'** में एक आवेदन राजस्व विभाग के संबंधित अंचल पदाधिकारी को दे सकेगें। अंचल पदाधिकारी इस बिन्दु पर जाँच कर एक माह के अन्दर आश्वस्त हो सकेगें कि आवेदनकर्त्ता वर्णित भूमि के वास्तविक रैयत है एवं तत्पश्चात् आवेदित भूमि पर खड़े आवेदित वृक्षों पर क्रमांक अंकित करते हुए राजस्व अंचल कार्यालय में इस हेतु उपलब्ध सम्पत्ति चिन्ह वाला हथौड़ा प्रत्येक वृक्ष के तना पर जमीन से क्रमशः 15 से0मी0 एवं 120 से0मी0 की ऊँचाईयों पर अंकित करने के पश्चात् **प्रपत्र– '1'** में आवेदित वृक्षों के जमीन से 120 से0मी0 ऊँचाई पर तनों की छाल सहित मापी सूची के साथ आवेदन की जाँचोपरान्त अनुशंसा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित कर सकेगें जो इस संबंधित वनों के

क्षेत्र पदाधिकारी को अग्रसारित कर सकेगें।

2. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी आवेदन में दी गई सूचनाओं की जाँच कराकर अन्य के अतिरिक्त यह आश्वस्त होकर कि अमुख वृक्ष वन सीमा के बाहर है **प्रपत्र– '1'** में मापी सूची के साथ आवेदन को जाँचोपरान्त अनुशंसा 15 दिनों के भीतर वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेज देगें। अंचल पदाधिकारी एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की अनुशंसाओं के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी रैयत के पक्ष में जाँच में सहीं पाये गए वृक्षों के पातन की स्वीकृति एक सप्ताह में दे सकेगें। इसके साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी रैयत से विहित शुल्क लेकर रैयत का निजी सम्पत्ति चिन्ह भी पंजीकृत कर सकेगें। वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुमति एवं रैयत का निजी सम्पत्ति चिन्ह की सूचना प्राप्ति के पश्चात् वनों के क्षेत्र पदाधिकारी ऐसे वृक्षों पर विभागीय सम्पत्ति चिन्ह अंचल पदाधिकारी द्वारा लगाए गए चिन्ह के बगल में अंकित कर देगें तथा यह निरीक्षण करा लेगें कि रैयत का निजी सम्पत्ति चिन्ह भी उन वृक्षों पर बगल में अंकित हो। इसके पश्चात् वह संबंधित रैयत को वृक्षों के पातन एवं लौगिंग की अनुमति सूचित कर सकेगें।

3 संबंधित रैयत वन क्षेत्र पदाधिकारी से ऐसी अनुमति पाने के उपरान्त ऐसे वृक्षों का पातन एवं लौगिंग कर सकेगा तथा लौगिंग से प्राप्त प्रत्येक टुकड़े पर लौग क्रमांक एवं वृक्ष क्रमांक तथा अपना निजी सम्पत्ति चिन्ह अंकित कर लम्बाई एवं गोलाई की मापी कराकर सभी टुकड़ों को पातित वृक्ष के समीप ही भूमि पर स्टैक कराकर मापी सूची वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। पातन के समय रैयत यह सुनिश्चित् करेगा कि वृक्ष के तना के निचले हिस्से पर लगाये गये सभी सम्पत्ति चिन्ह सुरक्षित रहें।

4. उपर्युक्त रीति से मापी सूची प्राप्तोपरान्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मापी सूची में सूचना से निरीक्षणोपरान्त आश्वस्त होकर वन प्रमंडल पदाधिकारी को परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने की अनुशंसा भेज सकेगें, जिसके आधार पर वन पदाधिकारी उपर्युक्त परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने की अनुमति दे सकेगें। तत्पश्चात् वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा यथा निर्धारित विहित प्रपत्र में परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

9. शुल्क :– इस नियमावली के अधीन विभिन्न उपबंधों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत वन पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड गज़ट में अधिसूचना द्वारा शुल्क की दर निर्धारित की जा सकेगी अथवा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

10. दण्ड :– इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार

द्वारा यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन दण्ड का भागी होगा। इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन के क्रम में जप्त किसी सम्पत्ति के अधिकरण या अन्य प्रकार से निबटारा राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन की जाएगी।

11. इस नियमावली पर विधि विभाग की औपचारिक सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(मुखत्यार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक– रा0व्या0– 11/2000– 2402 व0प0 राँची दिनांक 21.06.2004

प्रतिलिपिः अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय डोरण्डा राँची को प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 प्रतियाँ वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रेमचन्द्र वर्मा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– रा0व्या0– 11/2000– 2402 व0प0 राँची दिनांक 21.06.2004

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची एवं वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रेमचन्द्र वर्मा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– रा0व्या0– 11/2000– 2402 व0प0 राँची दिनांक 21.06.2004

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य वन संरक्षक, एवं सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रेमचन्द्र वर्मा)
सरकार के उप सचिव

अनुसूची–'क'

प्रपत्र–'I'

झारखण्ड राज्य की सीमा के भीतर काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद के पारागमन हेतु अनुज्ञा पत्र

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक– .....

वन प्रमंडल– ..... वन क्षेत्र– .....

तिथि– .....

(1) वन उत्पाद के स्वामी का नाम– .....

(2) वन उत्पाद पारागमन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर– .....
.....

(3) वन उत्पाद का विवरण–

(क) जाति– .....

(ख) प्रकार– .....

(ग) मात्रा– .....

(घ) विवरण काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/बोटे की माप (आवश्यकतानुसार अलग पृ० संलग्न करें)– .....

(4) संपत्ति चिन्ह (काष्ठ के लिए)– .....

(5) पारागमन का स्थान– .....

(क) कहाँ से– ..... कहाँ तक– .....

(ख) गंतव्य स्थान का पूरा पता–.....
.....

(ग) मार्ग का विवरण– .....

(6) वाहन का प्रकार– ..... निबंधन संख्या– .....

चालक का नाम– ..... हस्ताक्षर– .....

(7) अनुज्ञा–पत्र जारी करने की तिथि एवं समय– .....

(8) अनुज्ञा–पत्र मान्य रहने की तिथि एवं समय– .....

(9) वन प्रमंडल पदाधिकारी का पत्रांक– ..... दिनांक– .....

जिसके द्वारा आदेश जारी किया गया– .....

(10) विभागीय पासिंग हथौड़े का चिन्ह जिससे काष्ठ पारित किया गया हो– .....
.....

तिथि– ..... हस्ताक्षर– .....

हस्ताक्षर– ..... नाम– .....

(अनुज्ञा–पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का
पदनाम एवं हस्ताक्षर)

नोट– पटरा, जलावन/छलटा आदि पर विभागीय पासिंग हेमर के चिन्ह लगाने की आवश्यकता नही होगी।

अनुसूची-"क"

प्रपत्र-2

झारखण्ड राज्य की सीमा के बाहर काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद के पारागमन हेतु
अनुज्ञा-पत्र

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग ।

क्रमांक...............

...............वन प्रमंडल...............वन क्षेत्र...........तिथि............

(1) वन उत्पाद के स्वामी का नाम................................

(2) वन उत्पाद पारागमन के लिए प्राधिकृत
व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर..................................

(3) वन उत्पाद का विवरण:-

(क) जाति.....................

(ख) प्रकार.....................

(ग) मात्रा.....................

(घ) विवरण- (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/मोटे की माप
(आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न करें)

(4) सम्पत्ति चिन्ह (काष्ठ के लिए):-

(5) पारागमन का स्थान :-

(क) कहाँ से...................कहाँ तक.......................

(ख) गंतव्य स्थान का पूरा पता:-

(ग) मार्ग का विवरण :-

(6) वाहन का प्रकार......................निबंधन संख्या...................
वाहक का नाम......................हस्ताक्षर.......................

(7) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की तिथि एवं समय :-

(8) अनुज्ञा-पत्र मान्य रहने की तिथि एवं समय :-

(9) वन प्रमंडल पदाधिकारी का पत्रांक- दिनांक- जिसके
द्वारा आदेश जारी किया गया :-

(10) विभागीय पारिंग हथौड़े का चिन्ह जिससे काष्ठ पारित किया गया हो :-

तिथि.................. हस्ताक्षर.....................

स्थान.................. नाम.......................

पदनाम.......................

अनुज्ञा-पत्र जारी करनेवाले पदाधिकारी का नाम
एवं पदनाम एवं हस्ताक्षर

नोट:- पटरा, जलावन/छत्ता आदि पर विभागीय पारिंग हैमर के चिन्ह लगाने की
आवश्यकता नहीं होगी ।

अनुसूची–"क"

प्रपत्र–3

अन्य राज्य/राष्ट्र से आयात किये जा रहे काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा–पत्र के बदले जारी करने के लिए ।

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक–..... अंतराजकीय सीमा चेक पोस्ट ...../प्रमण्डल

1. वन उत्पाद के स्वामी का नाम .....
2. आयात किये जा रहे वन उत्पाद एवं अन्य राज्य/राष्ट्र के ट्रांजिट परमिट का विवरण :–
   - क. निर्गत करने वाले प्रमण्डल तथा राज्य/राष्ट्र का नाम .....
   - ख. परिवहन अनुज्ञा पत्र संख्या एवं तिथि .....
   - ग. वन उत्पाद की प्रकार, मात्रा एवं संक्षिप्त विवरण .....
   - घ. वाहन का प्रकार एवं निबंधन संख्या .....
   - ड़ गंतव्य स्थान :– कहाँ से ..... कहाँ तक .....
3. सम्पति चिन्ह (काष्ठ के लिए) .....
4. वन उत्पाद का विवरण :–
   - क. प्रकार एवं मात्रा .....
   - ख. विवरण (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/गोटे की माप) .....
5. क. वाहन का प्रकार एवं निबंधन संख्या .....
   - ख. चालक का नाम एवं हस्ताक्षर .....
6. वन उत्पाद पारगमन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर .....
7. पारगमन का स्थान .....
8. गंतव्य स्थान का पूरा पत्ता .....
9. मार्ग का विवरण .....
10. अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि एवं समय .....
11. अनुज्ञा पत्र मान्य रहने की तिथि एवं समय .....
12. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्रांक– ..... दिनांक–..... जिसके द्वारा आदेश जारी किया गया ।
13. विभागीय पासिंग हथौड़े का चिन्ह जिससे काष्ठ पारित किया गया है :–

तिथिः– .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम.....
.....

(अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं हस्ताक्षर)

नोटः–पटरा, जलावन/छल्टा आदि पर विभागीय पासिंग हैमर के चिन्ह लगाने की आवश्यकता नही होगी।

अनुसूची–''ग''

वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र

आवेदक का नाम.....

1. आवेदक के पिता/पति का नाम एवं पूरा पता.....
2. भूमि, जिसपर आवेदित वन उतपाद अवस्थित है का विवरण

   (क) ग्राम.....

   (ख) थाना एवं थाना सं0.....

   (ग) खाता एवं सर्वे प्लॉट सं0.....

   (घ) लगान रसीद सं0.....
3. आवेदित वन उत्पाद का विवरण

कुल क्रमांक	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई 1.7 मीटर (4.5 फीट) ऊँचाई पर काष्ट का परिमाप	अभियुक्ति

मै.....वल्द/जोजे.....ग्राम.....थाना.....जिला..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपुर्यक्त अंकित वन उत्पाद मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं वन उत्पाद मेरी सपत्ति है जिन्हे मै.....स्थान से.....स्थान तक निजी उपयोग/बिक्री हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ। लगान रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

मैने उपर्युक्त अंकित सभी सूचनाओं की जाँच कर ली एवं इनको सही पाया। उक्त वृक्ष आवेदक की निजी भूमि पर अवस्थित है तथा उनकी निजी संपत्ति है।

हस्ताक्षर
मुखिया/सरपंच
ग्राम पचायत

अनुसूची--''घ''

वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा--पत्र निर्गत करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन--पत्र

आवेदक का नाम.....

1. आवेदक के पिता/पति का नाम एवं पूरा पता.....

2. भूमि, जिसपर आवेदित वन उतपाद अवस्थित है का विवरण

(क) ग्राम.....

(ख) थाना एवं थाना सं0.....

(ग) खाता एवं सर्वे प्लॉट सं0.....

(घ) लगान रसीद सं0.....

3. आवेदित वन उत्पाद का विवरण

कुल क्रमांक	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई 1.7 मीटर (4.5 फीट) ऊँचाई पर काष्ट का परिमाप	अभियुक्ति

मै.....वल्द/जोजे.....ग्राम.....

.....थाना.....जिला..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपुर्यक्त अंकित वन उत्पाद मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं वन उत्पाद मेरी संपत्ति है जिन्हे मै.....स्थान से.....स्थान तक निजी उपयोग/बिक्री हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ। लगान रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनु0--यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

उपर्युक्त अंकित सभी सूचनाओं की जाँच कार्यकारिणी समिति द्वारा कर ली गई है। उक्त वृक्ष आवेदक के निजी भूमि पर अवस्थित है तथा उनकी निजी संपत्ति है तथा अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के बाहर है। कार्यकारिणी समिति आवेदक को ..... तक उपर्युक्त वन उत्पाद अपने निजी उपयोग/ बिक्री करने हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत करने की अनुशंसा करता है।

सचिव
कार्यकारिणी समिति